न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 08/24 (अपील)

GCMS No. : 2024/274

अनवान्

1. श्री भेरूलाल पिता ताराचन्द जाट निवासी बडगांव तहसील मावली जिला उदयपुर ।
2. श्री दिनदयाल पिता ताराचन्द जाट निवासी बडगांव तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....अपीलाण्ट्स

बनाम

1. आशा पुत्री रामलाल जाट निवासी बड़गांव तहसील मावली जिला उदयपुर ।
2. लीला पत्नी रामलाल जाट निवासी बड़गांव तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. धापूबाई पत्नी ताराचन्द जाट निवासी बड़गांव तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत बड़गांव तहसील मावली जिला उदयपुर।
5. पटवारी, पटवार हल्का बड़गांव तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता अपीलान्ट्गण।
2. श्री हिरालाल बुनकर, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश ग्राम पंचायत बड़गांव तारीख 05.07.2024 नामान्तरकरण संख्या 2038 मौजा बड़गांव, तहसील मावली

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 21.02.2025

1. अपीलाण्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बड़गांव, पटवार मण्डल बड़गांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित खाता संख्या 282, 285, 447, 580 में वर्णित कृषि आराजीयात के खातेदार ताराचन्द पुत्र मोती जाट ने हम अपीलान्ट की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपने हक हिस्से की उक्त वर्णित स्वअर्जित कृषि भूमि का हम अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 06.07.2015 को स्टाम्प कीमती 500/–पांच सौ रूपया पर वसीयतनामा लिखवाकर अपने हस्ताक्षर कर दिये और नोटेरी पब्लिक के समक्ष उपस्थित होकर वसीयतनामा को नोटेरी करवा दिया। वसीयतकर्ता खातेदार ताराचन्द पुत्र मोती जाट का स्वर्गवास दिनांक 04.05.2024 को होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:28 IST
Reason: SelfAttested

पश्चात् उनके हक हिस्से की कुलिया कृषि भूमि हम अपीलान्ट को वसीयत में प्राप्त हुई जिस हम अपीलान्ट समान हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का कोई हक अधिकार नहीं रहा है, न ही हैं। हम अपीलान्ट को वसीयत के जरिए प्राप्त हुई उक्त कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पर अमल दरामद करने के लिए दिनांक 24.05.2024 को सरपंच एवं पटवारी क्रमशः रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के समक्ष वसीयत के आधार नामान्तरकरण की कार्यवाही अपीलान्ट के नाम पर करने हेतु वसीतयनामा मय प्रार्थना पत्र पृथक–पृथक रूप से उनके व्हॉट्सअप पर अपीलाट संख्या 1 द्वारां प्रेषित करते हुए अवगत करवा दिया गया तथा इसके बाद अपीलान्ट्स ने व्यक्तिगत रूप से भी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 को प्रार्थना पत्र मय वसीयतनामा प्रस्तुत कर दिया। इस दरमियान चूँकि वसीयतनामा रजिस्टर्ड न होकर नोटेरी ही था इसलिये इसके रजिस्टर्ड होने की विधिक रूप से जानकारी प्राप्त होने पर हम अपीलान्ट ने वसीयतनामा को इसमें वर्णित गवाहों के आधार पर पंजीकृत करवाने हेतु श्रीमान् उप पंजीयक सनवाड़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसके पश्चात् नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 03.07.2024 को उप पंजीयक अधिकारी, सनवाड़ द्वारा उक्त वसीयतनामा को पंजीकृत करते हुए पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 2 में पृष्ठ संख्या 135 क्रम संख्या 202403512300006 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 2 के पृष्ठ संख्या 1004 से 1013 पर चस्पा किया गया। तत्पश्चात् रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु कार्यालय तहसीलदार मावली में भी पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर दिया और इसी के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 को जरिए मोबाइल कॉल कर इसके बारे में अवगत करवा दिया गया। किन्तु इस दरमियान पटवारी हल्का बड़गांव ने सभी तथ्यों से अवगत होने के बावजूद भी अन्यथा प्रयोजन से आनन फानन में कार्यालय तहसीलदार मावली में चल रही कार्यवाही को एवं स्वयं के व्हॉट्सअप पर भेजे गये एवं दिनांक 03.07.2024 को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये गये वसीयतनामा मय आवेदन को नजरन्दाज करते हुए उसी दिन अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित कृषि भूमि में ताराचन्द पुत्र मोती जाट के बजाय विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2038 भरा और ग्राम सभा में नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने हेतु पेश कर दिया तथा इसके पश्चात् दिनांक 04.07.[illegible] को अपीलान्ट को विरासत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:28 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण के बारे में सन्देह उत्पन्न होने पर अपीलान्ट की और से उनके अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार मावली के समक्ष पुनः पटवारी को निर्देशित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 05.07.2024 को तहसीलदार जी द्वारा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित खातेदार ताराचन्द के हक हिस्से की भूमि बाबत् तहसील में विचाराधीन मामले के निस्तारण होने तक किसी प्रकार के नामान्तरकरण की कार्यवाही नही करने हेतु पटवारी को निर्देशित किया गया जिस समय पटवारी भी यही उपस्थित था और पटवारी को इसकी व्यक्तिशः जानकारी हो गई किन्तु पटवारी ने अपने उच्चाधिकारी के निर्देश को भी नजरन्दाज करते हुए तुरन्त बड़गांव सरपंच के पुत्र (जो ही सरपंच का सारा कामकाज करता है) से फोन पर सम्पर्क करते हुए विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत कर देने की पैरवी की जिसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने भी सभी तथ्यों को जानते हुए अन्यथा प्रयोजन से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का सहयोग करते हुए तुरन्त ही उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 2038 स्वीकृत कर दिया जिससे दुःखी एवं पीड़ित होकर हम अपीलान्ट की ओर से यह अपील निम्न आधार बिन्दुओं पर प्रस्तुत की जा रही है जो इस प्रकार है अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार ताराचन्द पुत्र मोती जाट ने हम अपीलान्ट की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपने हक हिस्से की उक्त वर्णित स्वअर्जित कृषि भूमि की हम अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 06–07–2015 को वसीयत की तथा हम अपीलान्ट वसीयत से प्राप्त उक्त कृषि भूमि पर अपने परिवारजन सहित शांतिपूर्वक काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अपीलान्ट को उक्त भूमि वसीयत से प्राप्त हुई है जिसकी स्पष्ट जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 को उक्त नामान्तरकरण भरे जाने से पूर्व ही हो गई थी तथा अन्य रेस्पोडेन्ट्स को इसकी जानकारी थी और हैं तथा नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के कुछ मिनट पूर्व भी हम अपीलान्ट द्वारा पटवारीजी को मावली तहसील कार्यालय में ही वसीयतनामा के बारे में अवगत कराया और वसीयत अनुसार नामान्तरकरण हेतु पूर्व में प्रस्तुत कर रखे आवेदन की भी याद दिलाई। फिर भी उक्त तथ्य को नजरन्दाज करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के आवेदन पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5 ने विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कृषि भूमि में विरासत का नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत कर दिया और उक्त नामान्तरकरण के अनुसार हम अपीलान्ट को वसीयत से प्राप्त हुई भूमियां हम अपीलान्ट के साथ ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:28 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम पर भी राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हक से दर्ज कर दी। इसलिये यह प्रकट रूप से प्रमाणित है कि कथित नामान्तरकरण स्वीकृत करने में रेस्पोडेन्ट्स ने भारी भूल की हैं। अपीलान्ट के नाम पर वसीयत से नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था जो न कर मनमाने ढंग से सभी तथ्यों को नजरन्दाज कर एवं विधि विरूद्ध तरीके से विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया हैं। इसलिये उक्त पारित नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य हैं।

2. अधीनस्थ न्यायालय को उक्त नामान्तरकरण भरे जाने से लगाकर स्वीकृत किये जाने के मध्य नियमानुसार आपत्ति/ एतराज हेतु 05 दिन की अवधि के लिये विचारण में रखा जाना चाहिए था लेकिन ऐसा न कर जानबुझकर नियमों की अवहेलना कर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है जिससे यह नामान्तरकरण अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले को समझा ही नही है। अधिनस्थ न्यायालय को उक्त नामान्तरकरण पारित करने का कोई अधिकार नही हैं। ग्राम पंचायत का कथित आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। कथित आदेश अवैध है व बिना अधिकार के है और निरस्त होने योग्य है।

3. अपीलान्ट तारीख 05.07.2024 को उक्त भूमि की ऑनलाइन जमाबन्दी की नकल देखी तो मालूम हुआ कि हम अपीलान्ट को वसीयत में प्राप्त हुई भूमि को अपीलाधीन नामान्तरकरण से हम अपीलान्ट के साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किये गये है जिसपर अपीलान्ट ने कथित नामान्तरकरण की उसी दिन ऑनलाइन प्रति दिनांक 05.07.2024 को दी गई है उसके बाद अपीलान्ट ने अपील के खर्चे की व्यवस्था कर अधिवक्ता नियुक्त कर अपील तैयार करा आज प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मयाद है। सुविधा की दृष्टि से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर दिया है।

4. अंत में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर पारित जैर बहस नामान्तरकरण संख्या 2038 दिनांक 05.07.2024 अपास्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें एवं वसीयतनामा के आधार पर हम अपीलान्ट के नाम पर नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:28 IST
Reason: SelfAttested

एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। रेस्पोडेंट संख्या 4, 5 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित अराजीयात का मोजा– बड़गाँव में स्थित होना स्वीकार है। इस कलम में यह स्वीकार नहीं है कि अपीलान्ट्स द्वारा तथाकथित वसीयतकर्ता ताराचन्द पुत्र मोती जाट की सेवा चाकरी अपीलान्ट्स भेरूलाल एवं दीनदयाल ने की हो, क्योंकि अपीलान्ट्स भेरूलाल एवं अपीलान्ट्स दीनदयाल सेना (अर्द्ध सैनिक बल) में नौकरी राजस्थान राज्य से दूर–दराज करने से सारे कथन अपने आप में मिथ्या एवं बनावटी है कि भेरूलाल, दीनदयाल ने तथाकथित वसीयतकर्ता दर्शाये ताराचन्द पिता मोती जाट की सेवा की हो। यह भी स्वीकार नहीं है कि ताराचन्द जाट के निधन होने के बाद अपील में वर्णित भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा भोग–उपभोग चल रहा हो और रेस्पॉडेन्ट्स का हक, अधिकार, कब्जा नहीं है। रेस्पॉडेन्ट्स संख्या 04 और 05 पर नाजायाज दबाव डालने की बदनीयती से झूठे आरोप लगाये है। रेस्पॉडेन्ट्स संख्या 04, 05 ने विरासत से नामांतरणकरण विधि अनुरूप खोला है। वसीयत पत्र बनाने से वसीयत पत्र अपने आप में साबित नहीं होता है। वसीयत पत्र को साबित कराने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद पेश करना पड़ता है और लेखक तथा दो साक्षियों द्वारा वसीयत को साबित करानी पड़ती है, लेकिन प्रथम दृष्टया इस प्रकरण की वसीयत में लेखक का नाम, वल्दियत, सकूनत का उल्लेख नहीं है और न ही लेखक के हस्ताक्षर इस विवादित वसीयत पत्र पर है, जबकि पूरी अपील का आधार ही वसीयत को नोटेरी से सन् 2015 में प्रमाणित कराना दर्शाया है और उप पंजीयक सनवाड़ द्वारा इसी वसीयत को दिनांक 07.03.2024 को यानि नो वर्ष बाद पंजीकृत किया गया है, जो अपने–आप में मिथ्या दस्तावेज की परिधि में आता है, क्योंकि वसीयत को पंजीकृत किया जाना दर्शाया है, उस दिनांक को नई वसीयत बनाने की रोक नहीं थी, क्योंकि वसीयत ही एक मात्र ऐसा दस्तावेज है, जिसमें अंतिम दस्तावेज की मान्यता होती है और पहले वाले दस्तावेज अपने–आप निष्प्रभावी और शून्य हो जाते है। वसीयत की प्रतिलिपि अपीलान्ट्स के अधिवक्ता द्वारा रेस्पॉडेन्ट्स के अधिवक्ता को दी गई, जिसमें भी पंजीकरण दिनांक 07.03. 2024 को भी लेखक का अभाव है, यानि लेखक के नाम, वल्दियत, सकूनत, हस्ताक्षर नहीं है। कुल मिलाकर ऐसे दस्तावेज का आधार बना कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:28 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश की है, जो खारिज योग्य है। अपीलान्ट्स ने अपील के खर्चे की व्यवस्था कर अधिवक्ता नियुक्त कर अपील तैयार कराई का उल्लेख किया है, जो पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, क्योंकि अपीलान्ट्स कृषक मजदूर नहीं होकर (सेना/अर्द्ध सैनिक बल) में सेवारत है। यह मियांद से बचने के लिए मिथ्या कथन गढ़े गये है तथा इस कलम के अन्य कथन भी मिथ्या होने से स्वीकार नहीं है। धारा 05 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र की नकल नहीं मिली है, मिलने पर उसका जवाब पृथक से प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

6. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील अन्दर मयाद पेश की गई। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पारित करते समय अपीलाण्टस को सुने बिना विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत का नामान्तरकरण विधि सम्मत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन् किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2038 दिनांक 05.07.2024 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विरासत के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा एक वसीयत प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत को नामान्तरकण पारित करने से पूर्व मृतक खातेदार के सभी वारिसान को सूचित करना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही किया गया। अपीलाण्ट्स का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि खातेदार ताराचन्द द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में वसीयत कर दी गई। जिससे उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकण पारित नही कर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण पारित करना चाहिए था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट को सुनना चाहिए था। यदि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट को सुनकर निर्णय पारित करता तो निश्चय ही वसीयत का बिन्दु भी रिकॉर्ड पर आ जाता। अधीनस्थ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय को उक्त नामान्तरकरण विवादित होने से तहसीलदार को प्रेषित करना चाहिए था।

इस सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) में स्पष्ट अंकित किया गया है कि यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार से अवधि विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, विधि के अनुसार ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में सक्षम हो, भेज देगा।

इस प्रकरण में भी ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तहसीलदार को प्रेषित करना चाहिए था। तहसीलदार को उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत् प्रकरण दर्ज कर हितबद्व सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने के पश्चात ही नामान्तरकरण पारित करना चाहिए था। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा वसीयत को शुन्य निष्प्रभावी बताते हुए अपील अपीलाण्ट खारिज करने का निवेदन किया। इस संबंध में तहसीलदार के समक्ष साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने के लिए रेस्पोडेण्ट स्वतंत्र है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2038 दिनांक 05.07.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार मावली को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सभी हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:28 IST
Reason: SelfAttested